राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

~~निगरानी~~ प्रकरण कमांक A 1198/III/14

स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

जिला सागर

पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर

9.5.2014 यह निगरानी अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 733 अ 2/07-08 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 20.2.14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ आवेदक के अभिभाषक ने प्रारंभिक तर्कों में बताया कि तहसील न्यायालय में संहिता की धारा 178 के अंतर्गत बटवारे का आवेदन विचाराधीन था जिस पर आपत्ति यह की गई कि बटवारे का इकरारनामा सही नहीं है क्योंकि उस पर आपत्तिकर्ता के दस्तखत नहीं हैं तथा बटवारा अपंजीयत है। नायब तहसीलदार वृत्त परसोरिया ने अपंजीयत बटवारा प्रदर्शित करने की अनुमति दे दी, जिस पर आवेदक ने निगरानी अपर कलेक्टर सागर के समक्ष प्रस्तुत की। अपर कलेक्टर सागर ने प्रकरण कमांक 59/अ-27/07-08 में आदेश दिनांक 29-7-08 से वास्तविक तथ्यों को जाने बिना निगरानी निरस्त करने में त्रुटि की गई और जब अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी की गई, उन्होंने भी निगरानी के तथ्यों को गहराई से न देखते हुये निगरानी निरस्त करने में भूल की है जब आवेदक के बटवारे के इकरारनामे पर दस्तखत नहीं है एंव उस पर आपत्ति है ऐसा इकरारनामा प्रकाशित नहीं किया जा सकता, इसलिये निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख सुनवाई हेतु मंगाया जावे।

3/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि उभय पक्ष के बीच नायव तहसीलदार वृत्त परसोरिया के यहाँ बटवारे का प्रकरण प्रचलित है जिसमें उभय पक्ष के बीच हुये इकरारनामे के अनुसार बटवारे की मांग है और इसी इकरारनामे को नायव तहसीलदार ने प्रकाशित कराया है जिस पर यदि आवेदक को आपत्ति थी वह आपत्ति प्रस्तुत कर अपने पक्ष समर्थन हेतु स्वतंत्र है।

4/ जहां तक विचाराधीन निगरानी में दिये गये तथ्यों का प्रश्न है ? नायव तहसीलदार वृत्त परसोरिया, अपर कलेक्टर सागर एंव अपर आयुक्त सागर संभाग व्दारा आदेशों में निकाले गये निष्कर्षा समवर्ती हैं जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार नजर नहीं आता है। वैसे भी आवेदक अपनी आपत्ति दर्ज कराने एंव अपना पक्ष समर्थन विचारण न्यायालय में करने हेतु स्वतंत्र एंव उसे तदाशय का पर्याप्त अवसर प्राप्त है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी सारहीन पाये जाने से अमान्य की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा किया जावे।

सदस्य